राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 10 जुलाई • 2023
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जो धैर्यवान है और मेहनत से नहीं घबराता, सफलता उसकी दासी है।
-ईसा मसीह

हिंसा के बीच मतदान

पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान शुक्रवार मध्य रात्रि से शुरू हुई हिंसा में शनिवार को देर शाम तक 15 लोग मारे गए। कुछ इलाकों में मतपेटियां नष्ट करने, मतपत्र जलाने और मतदाताओं को धमकाने की भी खबरें हैं। राजनीतिक दल हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मरने वालों में टीएमसी, भाजपा, माकपा, कांग्रेस और आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) के कार्यकर्ता शामिल हैं। मुर्शिदाबाद, नदिया, दक्षिण 24 परगना और नंदीग्राम में सर्वाधिक हिंसा हुई। मतगणना 11 जुलाई को होगी और उस दिन भी हिंसा होने की आशंका है। आशंका का आधार यह है कि ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की करीब 64 हजार सीटों पर

चुनाव की घोषणा 8 जून को होने के बाद से ही हिंसा की घटनाएं बढ़ गई थीं। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चुनाव आयोग शुरू से कठघरे में रहा। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोट को दखल देना पड़ा। सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने असंतोष जताया था। स्थानीय स्तर के चुनावों में हिंसा की घटनाएं शर्मसार कर देने वाली हैं। लोकतंत्र को कलंकित करती हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल में राजनीति में हिंसा की संस्कृति को वामपंथियों के शासन के दौरान अच्छे से पाला-पोसा गया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को मिटा देने को सदा आतुर रहे वामपंथियों की सत्ता को राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खासे संघर्ष के बाद उखाड़ फेंका लेकिन हिंसा की संस्कृति को विरासत के रूप में सहेजे रखा। टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता राज्य में अपना वर्चस्व जमाए रखने में हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने से भी गुरेज नहीं करते। उनको कड़ा जवाब देने के फेर में अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी कसर नहीं छोड़ते। चुनाव के दौरान तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। मतदाता भ्रमित हो जाता है कि आखिर, किसे चुने जिसके हाथ में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बहरहाल, हिंसा का माहौल बनना कानून-व्यवस्था का मसला है, और राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सत्ताधारी टीएमसी की है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाबदेही से बच नहीं सकतीं। पंचायतों को विकास के लिए मिलने वाले धन को बढ़ाया गया है, और राज्य और केंद्र की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में पंचायतों की भागीदारी रहती है, इसलिए पंचायत चुनाव मलाई खाने की मंशा पैदा कर देता है। कट-कमीशन के लिए चुनाव जीतना जीवन-मरण का मामला जैसा हो गया है।

मजबूत हो तंत्र

खेल क्षेत्र में लैंगिक दुर्व्यवहार से निपटने के लिए मजबूत तंत्र की स्थापना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली ने खेलों के जरिए महिला सशक्तिकरण विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में खेलों में माहौल को समावेशी बनाने की बात कहते हुए बल दिया कि खेलों में महिलाएं किसी भी प्रकार के भेदभाव व प्रताड़ना से सुरक्षा व सम्मान की हकदार हैं। नीतिगत सुधार की बात करते हुए यह भी कहा कि खेल क्षेत्र में लैंगिक हिंसा, भेदभाव व प्रताड़ना से निपटने के लिए तंत्र स्थापित करने के लक्ष्य से नीतियां बनाई

जानी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैक्ल्टी के कार्यक्रम में जस्टिस कोहली ने न्यायिक फैसलों के दिशा-निर्देश की भांति काम करने की भी बात की। सच है कि स्त्री सशक्तिकरण के प्रति अदालतों ने विभिन्न फैसलों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन किया है। खेलों के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए प्रभावी नीतिगत सुधार की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया। उनके इन सुझावों से निस्संदेह कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा किये गये कथित दैहिक शोषण के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रही पहलवान खिलाड़िनों को भावनात्मक व नैतिक बल मिल सकेगा जिन्होंने कमजोर नीतियों व गैर-जिम्मेदाराना रवैये के प्रति दुनिया का भी ध्यान आकर्षित किया। समय के साथ धीरे-धीरे खेलों का महत्व समझ कर अभिभावकों में खेल क्षेत्र के प्रति सकारात्मक सोच पनप रही है। मगर जब तक खेल प्रशिक्षण संस्थानों व प्रशिक्षकों से लड़कियां सुरक्षित नहीं प्रतीत होतीं, तब तक उनकी प्रतिभा के प्रति पालकों का रवैया शुष्क ही रहेगा। अपनी जवान होती बच्चियों को लेकर परिवार पहले ही आशंकित रहते हैं। उस पर लगातार चले शोषण के खिलाफ आंदोलनों और पहलवानों के आरोपों-प्रत्यारोपों ने उन्हें और भी आशंकित किया है। तमाम बदलावों और कानूनों के बावजूद लैंगिक हिंसा व भेदभाव से लड़कियों को सम्मान तथा पूर्ण रूप से सुरक्षा देने में व्यवस्था लगातार असफल नजर आ रही है। खिलाड़िनों के प्रति दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं की सूचना और समय पर उनका यथोचित समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र की स्थापना समय की मांग है। ये सुविधाएं और भयमुक्त माहौल ना केवल देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिला सकेगा, बल्कि खिलाड़ियों द्वारा देश का परचम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा करने में मददगार साबित होगा।

परिधि/ राजीव मंडल

दोषी है 'असमर्थता'

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घिनौनी हरकत का बारीकी से मुआयना करने पर कई सारी हैरतअंगेज बातें सामने आ रही हैं। पहली उद्दंडता तो पेशाब करने की है, मगर उससे भी नीच हरकत यह रही कि आरोपित ने पीड़ित पक्ष की तरफ से हलफनामा लिखवा कर ले लिया कि उसे इस पेशाब करने की घटना से कोई दिक्कत नहीं है और प्रवेश शुक्ला निर्दोष है। हालांकि वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी प्रवेश शुक्ला पीड़ित दशमत रावत के ऊपर पेशाब कर रहा है। पेशाब करने, झूठा शपथ पत्र जारी करने के अलावा अब एक और तथ्य सामने आया है। यह कि पीड़ित आदिवासी युवक ने राज्य सरकार से इस कृत्य में शामिल आरोपित को रिहा करने का अनुरोध किया है। पीड़ित का कहना है कि अब आरोपित को अपने किए का अहसास हो गया है।

ये सारी बातें क्या इतनी सीधी-सपाट हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल, कमजोर, अनपढ़ और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के साथ ऐसे जुल्म बहुतेरे होते हैं। फिर उस करतूत को गलत ठहराने के उपाय तलाशे जाते हैं। दशमत रावत के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हां, इन सबके बीच में पढ़ा-लिखा और जागरूक न होना सबसे बड़ी विपदा है। अगर दशमत और उसका समाज पढ़ा-लिखा, सामाजिक स्तर पर चौकन्ना रहता तो शायद इस तरह की हरकत कोई उसके साथ नहीं कर पाता। मगर, इन कमियों पर किसी का भी ध्यान नहीं है। न तो चरण पखारने वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार का और न ही आदिवासी समाज के स्वनाम धन्य नेताओं का। ऐसे में मूल निवासी कहे जाने वाले आदिवासियों के साथ ऐसे जुल्म भी होंगे और उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति आदिवासी है। राज्य में कुल 21 फीसद अनुसूचित जनजाति आबादी है। इसके बावजूद वहां इस समुदाय के साथ ज्यादती की जाती है। क्या ऐसे में हिन्दू एकता की बात कोरी बकवास नहीं लगती। सरकार को दशमत के चरण धोने का प्रपंच करने की बजाय ग्राऊंड जीरो पर जाकर काम करना होगा। उन लोगों के दिल और दिमाग में भरोसा कायम करना होगा। 15 वर्ष से शासन करने वाली पार्टी अगर यह काम नहीं कर सकती तो उससे कभी भी बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत का 'दिल' कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में लगता है, दिलदारी अब बीते समय की बात रह गई है।

दलितों का अपमान कब तक

विमर्श

विनीत नारायण

आज से 32 वर्ष पूर्व 1991 में मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव में एक आदिवासी दलित के मंदिर प्रवेश करने पर गांव के एक सवर्ण ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया था। इस घटना पर श्याम बेनेगल ने फिल्म 'समर' बनाई थी। 32 वर्ष बाद भी कुछ नहीं बदला है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की शर्मनाक घटना एक झलक मात्र है। ऊंची जाति के दबंग का एक दलित किशोर पर सरेआम मूत्र विसर्जन तो दलितों के अपमान का बहुत छोटा उदाहरण है। महानगरों को छोड़ कर शायद ही कोई ऐसा प्रांत होगा जहां दलितों का अपमान या उन पर अत्याचार न होते हों।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत कड़ी दंडात्मक कारवाई कर के सीधी जिले के दबंग प्रवेश शुक्ला को तो सबक सिखा दिया पर उससे उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अपनी जाति या राजनैतिक रसूख के चलते सदियों से दलितों पर अत्याचार करते आए हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसी खबर कभी-कभी ही वायरल होती है पर ऐसी घटनाएं चौबीस घंटे पूरे देश में कहीं न कहीं होती रहती हैं, जिनका कभी संज्ञान भी नहीं लिया जाता। देश की बात करने से पहले मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा। मेरा परिवार सनातन धर्म में दृढ़ आस्था रखता है। हम आचरण से शुद्ध रह कर धार्मिक कार्यों में रत ब्राह्मणों का पूरा सम्मान करते हैं। पर हमारे परिवार में इतनी मानवीय संवेदना है कि हम दलितों के साथ भी समान व्यवहार करते हैं। इस कारण हमें बीस बरस पहले विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़ा। हमारे वृंदावन आवास में हमारी मां की सेवा के लिए जो कर्मचारी तैनात था वो नारायण नाम का बृजवासी जाटव था। मेरी मां धर्मनिष्ठ व संस्कृत की विद्वान होते हुए भी नारायण से हर तरह की सेवा लेती थीं जैसे पूजा या भोजन की तैयारी। उनके इस आचरण से वृंदावन के हमारे शुभचिंतक कुछ ब्राह्मण परहेज करते थे। जब वे हमारे घर कोई अनुष्ठान संपन्न कराने आते तो घर का जल भी नहीं पीते थे। ऐसा कई वर्ष तक चला। न उनके आग्रह पर हमने नारायण को हटाया और न ही ब्राह्मणों के सम्मान में कोई कमी आने दी। इस तरह यह विरोधाभासी स्थिति तब तक चलती रही जब तक नारायण नौकरी छोड़ कर अपने गांव चला नहीं गया। उसके बाद ही उन ब्राह्मणों ने हमारे घर का भोजन और जल स्वीकार करना शुरू किया। जो बुद्धिजीवी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं, वो हमारी भी आलोचना करेंगे, यह कहकर कि हमने दलितों के प्रति ऐसा भाव रखने वाले ब्राह्मणों का सम्मान क्यों किया? जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सनातन धर्म का अभिन्न अंग मानते हैं, वे इस बात की आलोचना करेंगे कि हमारी मां ने दलित को रसोई और पूजा घर में प्रवेश क्यों करने

दिया? दोनों की आलोचना का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हां, इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि लगभग आठ वर्षों तक यही व्यवस्था हमारे वृंदावन आवास पर चलती रही। कोई तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा नहीं हुई। शायद इसलिए कि हमने दोनों मान्यताओं के बीच संतुलन बना कर रखा।

अगर देश के स्तर पर बात करें तो हमारे प्रातः स्मरणीय पुरी के शंकराचार्य मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए भी सनातन धर्म के कर्मकांडों को जन्म से ब्राह्मणों का ही एकाधिकार मानते हैं। दूसरी तरफ गौड़ीय संप्रदाय के समर्थक श्री चैतन्य महाप्रभु ने धर्म और जाति की सीमाओं को लांघ कर, शुद्ध भक्ति से, वैष्णव धर्म की आचार संहिता का पालन करने वाले हर मनुष्य को सामाजिक अनुक्रम में ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका भाव था 'हरि को भजे सो हरि का होय'। इसी का परिणाम है कि गौड़ीय संप्रदाय या इस्कॉन में कृष्ण भक्ति करने वाले हर जाति, धर्म और देश से आकर शामिल हो गए जिसकी कट्टर ब्राह्मणवादी कटु आलोचना करते हैं। इसी तरह लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के और स्वामी हरिदास जी के शिष्यों में मुसलमान तक भक्त थे। एक हजार वर्ष पहले रामानुजाचार्य जी ने जो संप्रदाय चलाया उसमें ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया। उनकी जीवन लीला में एक प्रसंग आता है, जब उनके एक शिष्य ने बाढ़ से घिरा होने के कारण किसी दलित के घर से भिक्षा में कच्ची सामग्री ले ली जिससे रामानुजाचार्य जी बहुत दुखी हुए। तब उस शिष्य ने प्रायश्चित में अपने प्राण त्याग दिए। पिछले वर्ष हैदराबाद के निकट श्रद्धेय संत श्री चिन्नाजियर स्वामी ने रामानुजाचार्य जी की विशाल प्रतिमा की स्थापना की है जो आकार में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी प्रतिमा है। इस तीर्थस्थली का नाम स्वामी जी ने 'समता स्थल' रखा है यानी यहां किसी से जाति के आधार पर भेद-भाव नहीं होगा।

ये तो रहा धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों का आचार-विचार पर भारत का बहुसंख्यक समाज ऐसी आस्थाओं से बंधा हुआ नहीं है। भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, विशेषकर गांवों में। स्वयं को ऊंची जाति का मानने वाले लोग दलितों को बराबरी का दर्जा देने को कतई तैयार नहीं हैं। पुलिस का रवैया भी इस भावना से काफी प्रभावित रहता है। इसलिए दलितों को न्याय तक नहीं मिल पाता। परिस्थिति वहां और भी विकट हो जाती है, जहां खुद को ऊंची जाति का मानने वाले लोगों के पास धन या सत्ता का बल भी होता है। ऐसे में उनका अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ कर बोलता है, और वे दलितों को अमानवीयता की हद तक जा कर प्रताड़ित और अपमानित करते हैं।

प्रवेश शुक्ला के मामले में शिवराज सिंह चौहान ने जो किया वो अगर पहले दिन से किया होता तो मध्य प्रदेश में दलितों पर पिछले वर्षों में जो हजारों अत्याचार हुए हैं, वो न हुए होते, जैसा कि विपक्ष के नेता कमल नाथ का आरोप है। अगर हर नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने लगे तो हालत सुधर सकती है। हालांकि पारस्परिक सामाजिक व्यवहार में समरसता लाना अभी दूर की कौड़ी है। इस अभिशाप को भारत की रेल, बस और हवाई यातायात व्यवस्था ने काफी हद तक तोड़ा है। इन यात्राओं के दौरान आम तौर पर कोई भी यात्री भोजन बेचने या परोसने वाले से उसकी जाति नहीं पूछता। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और औद्योगीकरण ने भी समाज के इन दकियानूसी नियमों को काफी हद तक तोड़ा है। मेरे जैसे लोगों के सामने द्वंद्व इस बात का है कि सनातन धर्म में पूरी निष्ठा और आस्था रखते हुए भी कैसे इस अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है?

> प्रवेश शुक्ला के मामले में शिवराज सिंह चौहान ने जो किया वो अगर पहले दिन से किया होता तो मध्य प्रदेश में दलितों पर पिछले वर्षों में जो हजारों अत्याचार हुए हैं, वो न हुए होते, जैसा कि विपक्ष के नेता कमल नाथ का आरोप है। अगर हर नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने लगे तो हालत सुधर सकती है। हालांकि पारस्परिक सामाजिक व्यवहार में समरसता लाना अभी दूर की कौड़ी है

असमान बारिश का असर

- मानसून में बारिश के असमान वितरण ने खरीफ की फसलों पर खासा असर डाला है। धान के रकबे में 26 फीसद की कमी आई तो राजस्थान में ज्वार-बाजरे की बंपर बुआई हुई है।
- राजस्थान में जून माह में 188 फीसद अधिक बारिश हुई। इसलिए बाजरे के रकबे में करीबन दोगुना वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में ज्वार-बाजरे की बंपर बुआई न होती तो देश में खरीफ का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम रह सकता था
- विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले समय में गेहूं के मुकाबले ज्वार-बाजरा को तवज्जो मिलना तय है क्योंकि सरकार भी मोटे अनाज को तरजीह दे रही है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

ट्वीट

कहना चाहूंगी कि पार्टी बदलने वाले विधायकों को तुरंत मंत्री बनने से रोकने वाला कानून होना चाहिए। लालच हमेशा मंत्री पद का होता है। यदि आप दल बदल करते हैं तो छह साल तक मंत्री पद नहीं मिलेगा। ऐसा कानून होना चाहिए। दल-बदल को हतोत्साहित किया जाना जरूरी है।

सागरिका घोष, वरिष्ठ पत्रकार
@sagarikaghose

मुस्लिम महिलाओं के हक में

यूसीसी | फिरदौस खान

केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करके अपना चिर-परिचित वादा पूरा करना चाहती है। इसलिए उसने सभी पक्षों से राय मांगी है। इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। वजह यह है कि समान नागरिक संहिता ऐसा कानून है, जो देश के सभी नागरिकों के लिए बराबर है। इसमें लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। इसके लागू होने पर देश में विभिन्न मजहबों और समुदायों के अपने निजी कानून खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे यानी मजहब के आधार पर किसी को कोई खास फायदा नहीं मिल सकेगा, जो उन्हें अब तक मिलता रहा है।

मौजूदा वक्त में देश में विभिन्न मजहबों और समुदायों के अपने-अपने निजी कानून लागू हैं, जो उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। मुसलमानों का कानून शरिया कुरआन पर आधारित है। ये कानून भारतीय संविधान के समानांतर चलते हैं। इस वजह से बहुत बार अदालतों के सामने संकट पैदा हो जाता है। ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जब धार्मिक कानून और न्यायपालिका में टकराव के हालात बन गए। शाह बानो मामला इसकी मिसाल है। काबिले गौर है कि शरिया ऐसा कानून है, जो मुस्लिम पुरुषों को चार निकाह करने की इजाजत देता है। वे जब चाहें अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन महिलाएं अपने पति को तलाक नहीं दे सकतीं, बल्कि उन्हें तलाक मांगनी पड़ती है, जिसे खुला कहा जाता है। पुरानी दिल्ली में रहने वाली तकरीबन 67 साल की बन्नो के तीन बेटे और एक बेटी है। उनके बेटों और बेटी के भी बच्चे हैं। कुछ साल पहले उनका बूढ़ा पति अपनी बेटी की उम्र की लड़की से निकाह करके घर ले आया। इस घटना के कुछ वक्त बाद उनके एक बेटे ने भी दूसरा निकाह कर लिया। इन दोनों दूसरी शादियों के बाद घर का माहौल खराब हो गया। यह सिर्फ एक घर का किस्सा नहीं है। मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। नजर दौड़ाने पर आसपास बहुत से घर देखने को मिल जाते हैं, जिनमें एक व्यक्ति की दो-दो पत्नियां हैं।

मुस्लिम समाज में तलाकशुदा महिलाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम इलाकों में ऐसे बहुत से घर मिल

जाते हैं, जिनमें तलाकशुदा महिलाएं हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं की बदतर हालत जगजाहिर है। शाह बानो मामला मुस्लिम समाज में महिलाओं की हालत को बयां करने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 1978 में तकरीबन 62 वर्षीय शाह बानो को उनके वकील पति मोहम्मद खान ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया था। उनके पांच बच्चे थे। मजलूम शाह बानो के पास गुजर-बसर के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। उनके पति ने उन्हें खर्च देने से साफ मना कर दिया। इस पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटा कर इंसाफ की गुहार लगाई। तकरीबन सात साल बाद 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पति को निर्देश दिया कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारे के लिए मासिक भत्ता दे। अदालत ने अपराध दंड संहिता की धारा-125 के तहत यह फैसला सुनाया था। काबिले गौर है कि अपराध दंड संहिता की यह धारा देश के सभी नागरिकों पर लागू होती है। चाहे वे किसी भी मजहब, जाति या संप्रदाय से संबंध रखते हों।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से उम्मीद जगी थी कि देश में मुस्लिम महिलाओं की हालत बेहतर हो सकेगी, लेकिन कट्टरपंथियों ने इस फैसले का सख्त विरोध किया। उस वक्त ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। नतीजतन, तत्कालीन कांग्रेस सरकार कट्टरपंथियों के सामने झुक गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल दिया। इस तरह कट्टरपंथी जीत गए और एक मजलूम औरत हार गई।

अफसोस की बात है कि कट्टरपंथियों को मजलूम औरत और उसके बच्चों की बेबसी दिखाई नहीं दी। सरकार ने भी इस मामले में इंसानियत के जज्बे को ताक पर रख दिया था। खुशनुमा बात है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 और 1998 में अपने चुनावी घोषणापत्रों में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की जा रही है कि वह इस वादे को पूरा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होने से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बेहतर हो सकेगी। यह कानून बहुपत्नी प्रथा को खत्म करने में कारगर साबित होगा। महिलाओं को इस खौफ से भी निजात मिल जाएगी कि न जाने कब उनका पति उनकी सौत ले आए या उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दे। उनके भरण-पोषण का मसला भी हल हो सकेगा। उन्हें जायदाद में भी बराबर हिस्सा मिल पाएगा। बहरहाल, यह कानून उन्हें वे सब अधिकार देगा, जिनसे अब तक वे महरूम रही हैं।

कर्म फल | श्रीराम शर्मा आचार्य

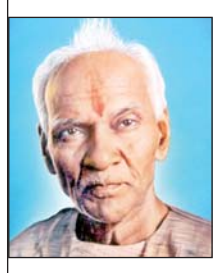

यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले-बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्मफल ऐसा अमिट तथ्य है, जो आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। कभी-कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्त्तव्य धर्म समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक बुद्धि संचय कर सका या नहीं। जो दंड भय से डरे बिना दुष्कर्मों से बचना मनुष्यता का गौरव समझना है और सदा सत्कर्मों तक ही सीमित रहता है, समझना चाहिए कि उसने सज्जनता की परीक्षा पास कर ली और पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का शुभारंभ कर दिया। मानवीय अंतःकरण की विकसित चेतना तभी अनुभव की जा सकेगी, जब वह कुमार्ग पर चलने से रोके और सन्मार्ग के लिए प्रेरणा प्रदान करे। लाठी के बल पर भेड़ों को इस या उस रास्ते पर चलाने में गड़रिया सफल रहता है। यदि हर काम का तुरंत दंड मिलता और ईश्वर बलपूर्वक किसी मार्ग पर चलने के लिए विवश करता, तो फिर मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आता, उसकी स्वतंत्र आत्म चेतना विकसित हुई या नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। ईश्वर या खुदा ने मनुष्य को भले या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता इसीलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले-बुरे का अंतर करना सीखे और दुष्परिणामों के शोक संतापों से बचने एवं सत्परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण कर सकने में समर्थ हो। यदि ईश्वर को यह प्रतीत होता कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा, तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ने, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा उठ पड़ने, बेईमानी करते ही बुखार आ जाने, कुदृष्टि डालते ही आंख दुःखने लगने, कुविचार आते ही सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की तुर्त-फुर्त व्यवस्था बनी रही होती, तो किसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव ही न होता। अतएव परमेश्वर के लिए उचित ही था कि मनुष्य को अपना सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान और सबसे जिम्मेदार बेटा समझकर उसे कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करे और देखे कि वह मनुष्यता का उत्तरदायित्व संभाल सकने में समर्थ है या नहीं?

रीडर्स मेल

कलंकित किया चुनावी हिंसा ने

शनिवार की देर शाम पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिंसा और झड़पों के बीच बम-गोली चलने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस चुनाव में शनिवार की घटना के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई। लोकतंत्र में चुनाव को उत्सव माना जाता है, और इस दिन लोगों की रुचि प्रायः यह जानने में होती है कि कहां कितने वोट पड़े और रुझानों में कौन आगे चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसके विपरीत हालात देखने को मिले जब बूथ लूटे गए और हिंसा हुई। पंचायत चुनाव में हिंसा का तांडव दरअसल, स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली बनने और वर्चस्व जमाने का संघर्ष है। लेकिन मतदान के दौरान व्यापक हिंसा की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला धब्बा हैं। चुनाव आयोग को सख्ती से काम लेना होगा। मतदान के दिन हिंसा हुई है, तो ग्यारह जुलाई को मतगणना के दिन अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। उस दिन भी व्यापक स्तर पर हिंसा हो सकती है।

जय सिंह अधाना, गाजियाबाद

भ्रामक विज्ञापन घातक

खाद्य पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों के घातक नतीजे तो वर्षों से हम समाज में देख रहे हैं, और अब तो यह बात खाद्य विशेषज्ञों ने भी स्पष्ट कर दी है। इस संबंध में 200 से अधिक चिकित्सा संबंधी अध्ययन हुए हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है, जिसे सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया गया है। भारत की बात करें तो पिछले कुछ दशकों से कुपोषण, एनीमिया, मोटापा जैसी समस्याएं भारतीय बच्चों में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। हमारे बच्चों में मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज गलत खान-पान की आदतों से बढ़ रहा है। अगर स्वस्थ भारत का निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में है, तो उसे भरमाने वाले विज्ञापनों पर लगाम अवश्य लगानी होगी क्योंकि बाजार का काम है मुनाफा कमाना। हमें खुद ही अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने बच्चों और खुद अपने खान-पान के तौर-तरीकों को नियंत्रित करना होगा वरना चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच लाखों रुपये खर्च कर शारीरिक यातना बर्दाश्त करने के बाद भी पहले जैसा स्वास्थ्य मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है।

अमृता पांडे, हल्द्वानी, उत्तराखंड

अराजक गतिविधियां अस्वीकार्य

यह अच्छा हुआ कि भारत ने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों की अराजक गतिविधियों को लेकर इन देशों से एक बार फिर कहा है कि इस तरह की हरकतें अस्वीकार्य हैं। सबसे शर्मनाक रवैया कनाडा सरकार का है। वहां के प्रधानमंत्री ने जिस तरह खालिस्तानियों के धमकी भरे और हिंसा की पैरवी करने वाले पोस्टरों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता दिया, वह निर्लज्जता की पराकाष्ठा ही नहीं, अतिवाद को खुले तौर पर दिया जाने वाला प्रश्रय है। चूंकि अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें भी अपने यहां के चरमपंथी खालिस्तानियों के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, इसलिए इन देशों में भी उनकी अराजक और भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। दुनिया को दहशत में डालने वाले खालिस्तानियों के प्रति पश्चिमी देशों की नरमी गंभीर चिंता का विषय है। ये देश आतंकवाद को हल्के में न लें। आतंकवाद की आग उन्हें भी लपेटे में ले सकती है।

सदन जी, पटना

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-32, अंक 327
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी